# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 211/2018 दायर दिनाँक 22.06.2018

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. नवाबखाँ पुत्र जाब्दीखाँ (फौत), के वारिशान्—<br>1/1 खातूनबानो पत्नी नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/2 राजबानो पत्नी रफीकखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, हाल,निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/3 इस्लामबानो पत्नी हनीफखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, हाल,निवासी—छोटी छापरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/4 मांगुखाँ पुत्र नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/5 असलमखाँ पुत्र नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/6 शबीनाबानो पत्नी अरशदखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, हाल,निवासी—चौलूखाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>2. मुस्ताकखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. आमीनखाँ पुत्र अब्दुखाँ,<br>1/1 शमीन बानो पत्नि आमीन खां कायमखानी निवासी तारपुरा तहसील डीडवाना<br>1/2 परवीना बोनो पत्नि आरिफखां पुत्री आमीनखां जाति कायमखानी निवासी तारपुरा हाल निवासी छोटी बेरी तहसील डीडवाना<br>1/3 अंग्रेज बानो पत्नि अयुब खां पुत्री आमीन खां जाति कायमखानी नि0 तारपुरा हाल बेरी खुर्द<br>1/4 हसीना बानो पत्नि अलीशेर खां पुत्री आमीन खां जाति कायमखानी निवासी तारपुरा हाल सिंगरावट तह0 धोद जिला—सीकर<br>1/5 मेराज बानो पत्नि न्याजखां पुत्री आमीन खां जाति कायमखानी निवासी तारपुरा हाल छोटी बेरी तह0 डीडवाना<br>1/6 शाहरूख खां पुत्र आमीन खां<br>1/7 मुबारिक खां पुत्र आमीन खां<br>1/8 ईशाक खां पुत्र आमीन खां समस्त जाति कायमखानी निवासी तारपुरा तह0 डीडवाना<br>2. रमजानखाँ पुत्र अब्दुखाँ,<br>3. मुरादखाँ पुत्र अब्दुखाँ,<br>4. मनीबानों पुत्री अब्दुखाँ,<br>5. भँवरूखाँ पुत्र दस्तूखाँ,<br>6. मुन्शीखाँ पुत्र दस्तूखाँ,<br>7. बाबूखाँ पुत्र दस्तूखाँ,<br>8. लालखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>9. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हाकम अली वकील वादीगण।
2. श्री महेशपुरी वकिल प्रतिवादी सं0 06 ता 08 की और से ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वर्तमान खेत खसरा सं0 131 रकबा 08 बिस्वा गैर मु0 बैरा व खसरा सं0 132 रकबा 33 बीगा चाही दोयम कुल रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा वाकै सरहद तारपुरा है।जो कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 8 के पूर्वज स्व0 जाब्दीखां पुत्र इस्माईलखां के समय से कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जाब्दीखां का सन् 1977 में देहान्त हो गया तब इन खसरा सं0 की भूमि की खातेदारी जाब्दीखां के चारो पुत्रान के नाम से अंकित हुई। इस प्रकार इन खसरा सं0 की भूमि व बैरा में स्व0 जाब्दीखां के प्रत्येक पुत्र का 1/4 भाग कब्जा काश्त व खातेदारी का रहा।

यंह है कि तत्कालीन खातेदारन् दस्तुखां, अब्दुखां, बनेखां व नवाबखां में से खातेदार अब्दुखां ने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से खातेदार अब्दुखां ने उक्त खसरा सं0 का अपनी खातेदारी का सम्भावित 1/4 भाग जरिये पंजिकृत बैचाण के बोदूराम पुत्र बालूराम जाट को विक्रय कर दिया। जिससे अब्दुखां के स्थान पर खातेदारी में बोदूराम का नाम अंकित हुआ। जो दावा के साथ में प्रस्तुत नकल ख्तोनी 2034–2036 से स्पष्ट है। मगर हल्का पटवारी ने सम्वत् 2037–2040 की खतोनी में खातेदारी इन्द्राज अंकित किये, में बोदूराम वल्द बालूराम 1/4 भाग व दस्तूखां, अब्दूखां, बनेखां, नवाब के नाम शेष खातेदारी गलत अंकित कर दी। अब्दूखां का नाम खातेदारी में अंकित नही होना था। इसकी जानकारी वादीगण को उस वक्त नही हुई।

यह है कि अब्दुखां के द्वारा जो अपना 1/4 भाग बोदूराम को विक्रय किया, वह भाग बोदूराम ने प्रतिवादी मुन्शीखां पुत्र दस्तुखां को विक्रय कर दिया। जिसे स्थान पर 1/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी मुन्शीखां के नाम से अंकित हुई। इस प्रकार उक्त खसरान की भूमि में अब्दुखां व बोदूराम का कोई हक नही रहा।

यह है कि साबिक खातेदार दस्तूखां के फोत होने पर उसके उक्त खसरा सं0 131 व 132 वाकै सरहद तारपुरा की खातेदारी जरिये उत्तराधिकार उसके पुत्रान प्रतिवादी भंवरूखां वादी मुस्ताकखां, प्रतिवादी मुन्शीखां, प्रतिवादी बाबूखां, प्रतिवादी लालखां के नाम अंकित हुई। जो कि नकल खतोनी 2050–2053 से स्पष्ट है।

यह है कि उक्त खेत खसरा सं0 131 रकबा 08 बिस्वा व खसरा सं0 132 रकबा 33 बीघा कुल रकबा 33 बीगा 08 बिस्वा वाकै सरहद तारपुरा में से अब्दुखां द्वारा अपना हिस्सा विक्रय कर देने पर भी उनका नाम गलत अंकित रहने व उसके फौत होने पर प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 का नाम खातेदारी में गलत अंकित होने से इनका नाम हटाकर रेकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः वादी को दावा बाबत रे[illegible] [illegible] की करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जोडबामा (बापोर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादीगण यह है कि :–

उरोक्त वर्णित पैतृक कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि वर्तमान उक्त खेत खसरा सं0 131 रकबा 08 बिस्वा व खसरा सं0 132 रकबा 33 बीगा कुल रकबा 33 बीगा 08 बिस्वा वाकै सरहद तारपुरा की खातेदारी से स्व0 अब्दुखां के पुत्रान प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का नाम हटाकर के इन खसरा में वादी नवाबखां का 1/2 भाग, वादी मुस्ताकखां का 1/20 भाग, प्रतिवादी सं0 5 भंवरूखां का 1/20 भाग, प्रतिवादी मुन्शीखां का 3/10 भाग, प्रतिवादी बाबूखां का 1/20 भाग, प्रतिवादी लालखां का 1/20 भाग घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण का राजीनामा पेश हुआ, जिसे बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

पक्षकारान् राजीनामा अनुसार खातेदारी चाहते हैं। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, राजीनामा अनुरूप डिक्री सादिर किया जाता है।

## —:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम तारपुरा वर्तमान खेत खसरा सं0 131 रकबा 08 बिस्वा गैर मु0 बैरा व खसरा सं0 132 रकबा 33 बीगा चाही दोयम कुल रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा भूमि में राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/8 तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **28.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:50:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 211/2018 दायर दिनाँक 22.06.2018

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. नवाबखाँ पुत्र जाब्दीखाँ (फौत), के वारिशान्—<br>1/1 खातूनबानो पत्नी नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/2 राजबानो पत्नी रफीकखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, हाल,निवासी—धनकोली, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/3 इस्लामबानो पत्नी हनीफखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, हाल,निवासी—छोटी छापरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/4 मांगुखाँ पुत्र नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/5 असलमखाँ पुत्र नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1/6 शबीनाबानो पत्नी अरशदखाँ पुत्री नवाबखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, हाल,निवासी—चौलूखाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>2. मुस्ताकखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. आमीनखाँ पुत्र अब्दुखाँ,<br>1/1 शमीन वानो पत्नि आमीन खां कायमखानी निवासी तारपुरा तहसील डीडवाना<br>1/2 परवीना वोनो पत्नि आरिफखां पुत्री आमीनखां जाति कायमखानी निवासी तारपुरा हाल निवासी छोटी बेरी तहसील डीडवाना<br>1/3 अंग्रेज बानो पत्नि अयुब खां पुत्री आमीन खां जाति कायमखानी नि0 तारपुरा हाल बेरी खुर्द<br>1/4 हसीना बानो पत्नि अलीशेर खां पुत्री आमीन खां जाति कायमखानी निवासी तारपुरा हाल सिंगरावट तह0 धोद जिला—सीकर<br>1/5 मेराज बानो पत्नि न्याजखां पुत्री आमीन खां जाति कायमखानी निवासी तारपुरा हाल छोटी बेरी तह0 डीडवाना<br>1/6 शाहरूख खां पुत्र आमीन खां<br>1/7 मुबारिक खां पुत्र आमीन खां<br>1/8 ईशाक खां पुत्र आमीन खां समस्त जाति कायमखानी निवासी तारपुरा तह0 डीडवाना<br>2. रमजानखाँ पुत्र अब्दुखाँ,<br>3. मुरादखाँ पुत्र अब्दुखाँ,<br>4. मनीबानों पुत्री अब्दुखाँ,<br>5. भँवरूखाँ पुत्र दस्तूखाँ,<br>6. मुन्शीखाँ पुत्र दस्तूखाँ,<br>7. बाबूखाँ पुत्र दस्तूखाँ,<br>8. लालखाँ पुत्र दस्तूखाँ, कौम—कायमखानी, निवासी—तारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,<br>1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान। |

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 28.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हाकम अली वकील वादीगण व श्री महेशपुरी वकिल प्रतिवादी सं0 06 ता 08 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद ग्राम तारपुरा वर्तमान खेत खसरा सं0 131 रकबा 08 बिस्वा गैर मु0 बैरा व खसरा सं0 132 रकबा 33 बीगा चाही दोयम कुल रकबा 33 बीघा 08 बिस्वा भूमि में राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1, 1/1 ता 1/8 तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–............ .......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह. सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | <br><br><br>–<br>– | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फिस कमिश्नर<br>बाबत इजराय<br>हुक्मनामा<br>मुतफर्रिक | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner